

Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Greases & Lubricants, Kolkata

P-43, Hide Road Extn,

Kolkata – 700 088

"The tendered item(s) is/are not available in GeM. Balmer Lawrie & Co. Ltd. have no objection in providing detailed information for making available the said item(s) on GeM."

Tender No. : GLK/TE20/182, dated 24.11.2020

Due Date and time : 04.12.2020, 15.00 hours (IST)

TENDER FOR TRANSPORTATION OF PETROLEUM PRODUCTS BY TANK TRUCKS

Tender Type: Public Tender with two bid process through BL e-procurement website.

1.0 INTRODUCTION

Balmer Lawrie & Co. Ltd (BL) invites bids for **inbound/out bound** transportation of petroleum products in bulk by means of tank truck from various destinations to their factory situated at P 43, Hide Road Extension, Kolkata 700 088 and vice versa [hereafter referred as "the factory"] as in **ANNEXURE - I** enclosed. The annual loads mentioned are best estimates and not binding.

2.0 CONTRACT PERIOD

- a) Contract period will be for Eighteen Months (i.e. from 1st January 2021 to 30th June 2022).
- b) The contract may be extended on mutual agreement with same terms & conditions including rates based on mutual agreement of BL and contractual transporters in writing.

3.0 PRE-QUALIFICATION CRITERIA

Bidder shall fulfil the following eligibility criteria:

- a. The bidder must have

| MARKET | CAPACITY (Min) | MINIMUM No. of TANK TRUCKS |
|--------|-------------------|----------------------------|
| A | 18 KL (Base Load) | 8 (Eight) |
| B | 15 MT (Base Load) | 2 (Two) |
| C | 12 KL (Base Load) | 2 (Two) |

All tank trucks should not be more than 10 (Ten) years old and have valid statutory documents including valid calibration certificate from Statutory Authority. All the documents to be submitted within 7 days of placing LOI/Contract/PO whichever is earlier failing which the LOI/Contract/PO may be cancelled and the EMD may be forfeited. However only copy of RC of the tankers either in the name of the transporter or owner or Director or partners to be submitted along with technical bids.

b. The bidder shall have minimum 2 years experience in transportation of petroleum products in tankers with Oil PSUs / Pvt. Petroleum Oil companies (copy of certificates/ POs in support of experience to be submitted along with technical bid).

c. The bidder shall have minimum turnover of Rs. 50 Lakhs in anyone of the last three financial years. Supporting documents like CA certified Balance Sheets / PL Account shall be furnished along with the technical bid.

Note:

(l) All tankers must comply with Safety guidelines as mentioned below.

- a) Drivers should possess a valid driving license.
- b) Tank trucks should have proper and valid insurance certificate, pollution certificate, road permit copy and other necessary documents.
- c) Each tank truck should have a cleaner.
- d) Driver, Cleaner should wear all necessary PPEs.
- e) All the tyres of tank trucks should have proper treads.
- f) Head lights, indicators and reverse horn of tank trucks should be in working condition.

4.0 EARNEST MONEY DEPOSIT [EMD] & SECURITY DEPOSIT [SD]

- a) The bidder shall submit interest free EMD of Rs. 50,000 (Fifty Thousand only). The EMD amount shall be paid by Online Bank transfer/ in the form of Bank Guarantee/ Pay Order / Demand Draft drawn in favour of "Balmer Lawrie & Company Limited" payable at Kolkata and shall be submitted with the pre-qualification bid. The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders immediately after finalization of the tender. The EMD of successful bidder(s) shall be retained till the submission of Security Deposit.
Bidders who had free EMD/ SD lying with Balmer Lawrie & Co. Ltd. may request in writing to consider the same as EMD against the tender subject to verification by Balmer Lawrie & Co Ltd., the amount lying should be sufficient in terms of EMD amount required for this tender.
- b) The successful Transporter (s) shall submit SD of 5% of the order value rounded off to the nearest thousand by a demand draft or in lieu of that a Bank Guarantee from a Scheduled "A" Bank, of equivalent amount as per format of BL towards the satisfactory execution of the order. The SD shall be furnished within 15 days from the date of order. In case of failure to furnish SD within the stipulated time BL shall be entitled to terminate the order and forfeit the EMD without further reference to the bidder.
- c) Bidders having payment outstanding from the Company against services rendered may opt to furnish EMD/ SD by pledging such outstanding amount towards the EMD/ SD. Outstanding amount shall include all payment outstanding whether due or not. Submission of EMD/ SD under this clause shall be subject to acceptance of proposal by the Company at its sole discretion.

5.0 Provisions for Micro & Small Enterprises (MSE) :

Following benefits would be extended to qualifying MSE vendors as per Public Procurement policy for MSEs subject to meeting the qualification criteria.

- a. Qualifying Registered MSE vendors shall be exempted from need to furnish EMD, subject to submission of their registration details and meeting the qualification criteria.

- b. Preference for Price Quotation in tenders: Qualifying Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15%, will qualify to supply a portion of requirement by bringing down price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprises. Such Micro and Small Enterprises shall be allowed to supply 25 per cent of total tendered quantity for the particular grade(s)/item(s) at the respective plants subject to operational viability as considered appropriate by tendering authority. It may be further noted that if more than one such duly qualified MSE bidder matches non-MSE L1 price, 25% of the tender quantity will be equally split between the L1 matching MSEs. If more than one MSE bidder has quoted in afore-said price band (L1+15%), number of such bidders will be intimated by tenderer to MSE bidders when seeking their acceptance to match L1 bid.”

Qualification Criterion for MSE's for availing the above benefits:

- a. MSE vendor must confirm that UAM No has been uploaded on CPPP website as required by Ministry's circular no F: No21(17) / 2016 dated 06.04.18 for qualifying to be considered as MSE vendor under this tender. Qualifying and Registered MSE vendors shall be exempted from need to furnish EMD, subject to submission of their registration details. Declaration of Udyog Aadhar Memorandum [UAM Number] number on Central Public Procurement Portal [CPPP] is mandatory. It is also required for the MSE vendors to submit a certificate (certified by a practicing Chartered Accountant) for investment in Plant & Machinery or equipment by them. It is further required to submit audited balance sheet and Profit & Loss account for their turn over for the last completed Financial Year Certified by a Practicing Chartered Accountant or in the absence of the audited balance sheet and Profit & Loss Account, the turnover for the last completed Financial Year should be certified by a practicing Chartered Accountant.
- b. The above-mentioned provisions are meant for procurement of only goods produced and services rendered by MSEs and not for any trading activities done by them. A self-certification to be provided by the bidder that the tendered item is manufactured or serviced by them. Balmer Lawrie & Co Ltd reserves the right to verify the same.
- c. All of the above details are mandatory to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSEs.

Bidder should read **Government Notification dated 1st, June'2020 in respect of "New Definition of MSE" as under** before furnishing their MSE status to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSEs.

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2020

S.O. 1702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 of the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Small Scale Industries, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide S.O. 1642(E), dated the 30th September 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies the following criteria for classification of micro, small and medium enterprises, namely:—

(i) a micro enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

This notification has come into effect from 01.07.2020

9.1 Preference to Make In India Policy – Local content in the tendered items (Order No P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 of Department for promotion Of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Govt Of India.

Further the above referred Order defines 'Local Content, "Class -I local supplier" and "Class II local supplier" as under:

"Local Content" means the amount of value added in India which shall unless otherwise prescribed by the Nodal Ministry, be the total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all custom duties) as a proportion of the total value, in percent.

Class – I local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content equal or more than 50%, as defined under this Order.

Class – II local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content more than 20% but less than 50 %, as defined under this Order.

Vendor should note that only "Class I Local Service Provider" are eligible to bid in this tender.

In view of above guidelines, in case of procurement for value less than Rs. 10 Crores, you are required to furnish information in the following prescribed format and to provide a certificate on your letter head duly signed by authorized person and in case of procurement for a value in excess of Rs. 10 Crores, you are required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content of the items(s). Your attention is also drawn towards Para 9 (f) and (g) of the above referred Order of GOI, prescribing action in case of false declaration, as under.

| Sl No | Service s) Description | Percentage of local content in your service(s) |
|-------|-------------------------------|--|
| | Transportation through Tanker | |

Verification of local content

1. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.
2. A supplier who has been debarred by any procuring entity for violations of this order shall not be eligible for preference under this Order for procurement by any other procuring entity for the duration of the debarment. The debarment for such other procuring entities shall take effect prospectively from the date on which it comes to the notice of other procurement entities, in the manner prescribed under paragraph (h) below.
(a)

6.0 PARTICIPATION IN TENDER

- 6.1 Interested bidders are requested to apply for the bid (Two bid system) through e-Procurement system only. For this, they need to have suitable Digital Signature and a User Login and Password. The following documents may be uploaded in the system or may be sent in sealed envelope to initiate their tender participation process:
 - a) Un-Price Bid: - Tender document (i.e. this document), either in sealed envelope or to be uploaded in e-proc duly signed & stamped on each page as a token of acceptance of the terms & conditions of this 'Tender' in TOTO.
 - b) All other necessary documents as supporting/ confirming fulfilment of Pre-Qualification criteria by the transporter.
 - c) Proof of Online Bank Transfer (NEFT/ RTGS/ IMPS etc.) as stated earlier in this tender document to be uploaded on the website. In case, EMD is paid through DD/ Pay Order the original DD/ Pay Order should be submitted to the tender inviting authority so as to reach the tender inviting authority on or before the scheduled tender due date and time of the tender either by post / courier / by hand.
- 6.2 The participants will also need to fill the Price Bid online. The Prices quoted shall be valid for a period of 60 days from the due date of tender. The format of Price Bid is enclosed with this tender notice for reference purpose only. Online Price Bids of only those bidders who get technically qualified will be opened/considered.

Hard copy of the Price Bid should not be sent along with the Technical Bid, neither the scanned copy to be uploaded in the BL e-procurement site, if found, the bid shall stand cancelled.

It is not necessary that bidders have to quote for all the markets. Bidders may quote for one or more markets.

However, the bidders who are applying for Market C, rates must be quoted for all the load category of market C, failing which the offer for that particular market shall be rejected

7.0 RATES BASIS

The Rate basis shall be as under:

- a. All taxes, duties and statutory levies shall be paid extra at actual against submission of relevant documents.
- b. Rates quoted shall be inclusive of labour charges for loading goods, unloading the same at required destinations and all other incidental charges, if any applicable.
- c. The rate quoted shall be in due consideration of the fact that all loading / unloading shall be carried out at the stipulated "Free time" allowed and any demurrage charged on the Company shall be recovered in full from the transporter.
- d. The rate quoted shall remain firm during the contract period, except for escalation/de-escalation clause as defined later.
- e. Freight charges will be paid on proportionate basis based on actual receipt of product based on our Weigh Bridge or volume calculation and the same shall be final.

FOR PETROLEUM PRODUCTS:

- I. All receipts shall be by weighment done at BL's factory (Customer's premises – in case of outgoing material) and the same shall be final and binding. The quantity of short receipt at factory/ Customer's premises between invoice weight and actual weight will be recorded and in case the difference is more than 20 kg, the differential quantity shall be recovered in full from the transporter.

FOR BITUMEN PRODUCTS:

- I. All receipts shall be by weighment done at the factory and the same shall be final and binding. The value of the material short received at factory between invoice weight and actual weight shall be recovered in full from the transporter, however, the same will be adjusted against excess supply, if any, on monthly basis.
- II. In case of short deliveries, freight charges payable will be reduced in proportion to short quantity delivered.
- III. For transportation of materials when the loading / unloading is done by volume, the volume shall be converted to equivalent weight by temperature corrected specific gravity / density as per the sample test to be done at the laboratory of the factory. Value of the material short between equivalent weight and weighment slip at loading point shall be recovered in full from the transporter. In case the difference is more than 20 Kg. No deduction will be made in case the difference is within 20 Kg.

For outgoing material, all the receipts weighment shall be done at the factory of Customer/ BL as applicable and the same shall be final and binding. For the consignment deduction due to short receipt from payment to BL shall be debited to transporter's account.

- f. Transshipment is strictly prohibited, unless permitted by BL in writing.
- g. Transit Insurance will be covered by BL as per clause 10.0.
- h. Rates quoted shall be valid for acceptance up to 60 days from the due date of the tender.
- i. BL shall not be responsible for the turnaround of trucks at the off-loading destinations for any reason whatsoever. No detention charges shall be payable on any ground.

8.0 BASIS OF SELECTION

8.1 The basis of selection followed by placement of order shall be as under:

- a. The on-line price bids submitted through BL e-proc system shall be used for grading the bidders' market wise. The bidder shall be classified as L1, L2, L3 etc market wise.
- b. Orders will be split in ratio of 60:40 between L1 bidder and L1 matched other bidder from list of participating eligible bidders. The option to match L1 will be offered first to L2 bidder, if L2 bidder denied to match L1 rate then successively to L3, L4 bidders etc bidders offered to match L1. (Till L1 matched bidder is identified). If no bidders match L1 rate, BL has the right to place 100% order on L1. However, orders on MSE will be netted off from the tender quantity for arriving at order quantity which is to be split in afore detail 60:40 ratio.
- c. The ranking of L1, L2, L3 etc done for each market based on the rate quoted against each category multiplied with the estimated quantity for that distance slab. All the values against each category will be added for a market to get the total market value. Based on the total market value, L1, L2, L3 etc will be decided market-wise.
- d. When other than L1 bidder offered to match the L1 value, the other bidder needs to match the total market value offered by L1 bidder and the category-wise rates will be back calculated (reduced) proportionally to arrive at the distance slab wise rates for L1 match bidder.
- e. The contract will be placed to L1 bidder and L1 matched bidder in the proportion of 60:40 based on market values and accordingly translated to corresponding quantities.

8.2 Evaluation of bid and placement of order shall be done independently for each market.

8.3 Split Order / Part Order / Order in full in each market will be decided by BL and all bidders are bound to accept any / all decisions taken by BL in this regard. No request / appeals are to be entertained / accepted.

9.0 ESCALATION / DE-ESCALATION OF RATE

- a) The escalation / de-escalation will be payable when diesel price differential exceeds ₹ 3.00/ Litre from the reference diesel rate. For example, if diesel rate is ₹ 70, say, on the due date of the tender, price escalation and de-escalation shall only be considered when diesel rate is ₹ 73/ 67 in the first instance, again when diesel rate is ₹ 76/ 70/ 64 in the second instance and so on. (i.e. once the Diesel price increase/decrease by Rs 3.00 then escalation/ De-escalation will be

applicable and the increased / decreased Diesel price based on which escalation/ de-escalation executed will be considered as the new reference Diesel price for any further escalation/ De-escalation in future.)

- b) The reference "Diesel Rate" shall be the ruling retail price of diesel charged by IOCL in Kolkata on the due date of the tender. The escalation/de-escalation shall be worked out rounded off to the nearest rupee as per the following formula:**

$$\left. \begin{array}{l} \text{Differential applicable} \\ \text{in contract rate} \end{array} \right\} = \frac{0.25 \times \text{Last applicable rate} \times \text{Increase/Decrease in Diesel}}{\text{Last Reference Diesel Rate}}$$

For example:

| Contract rate ₹ 10,000 [Reference Diesel Price – ₹ 70/Litre] | Diesel Rate (₹ / Ltr) | Differential as per above formula | New Contract Rate ₹ |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | 67.20 | Nil since decrease < 3 | 10,000 |
| | 72.90 | Nil since increase < 3 | 10,000 |
| | 73.10 | (+) 110.71 | 10,111* |
| | 75.00 | Nil since increase < 3 | 10,111* |
| | 66.75 | (-) 219.58 | 9,891* |
| (*Rounded off to the nearest rupee) | | | |

10.0 TRANSIT INSURANCE

Transit Insurance will be covered by BL. However, the transporter has to make necessary arrangement for conducting survey, lodge FIR for enroute claims, issue short/damage certificate towards any short delivery / damage during transit or at Customer's end, within 30 days of occurrence of such incident. The transporter's relevant bill for such cases will be settled only after the required documents are received. The transporter will have to comply with the insurance formalities to enable the BL to lodge the claims with the insurance company to make good any damage or loss of products or loss due to leakage /pilferage in transit. In case the transporter fails to provide such documentation as required by the insurance company, then BL shall recover from the transporter the equivalent value towards the loss. Any damage / pilferage caused by the transporter's truck / workman within BL's premises and /or at customer's end will also have to be compensated by the transporter.

11.0 DELIVERY CHALLAN(S)

- a) The transporter shall be responsible for obtaining from BL the Original for Buyer [OFB], Duplicate for Transporter [DFT] copy, E-Way Bill or other relevant documents as required by the authorities for verification / clearance at the check post and handover to the consignee. Any financial loss suffered by BL due to loss/damage of the DFT copy while in the transporter's custody, shall be recovered from the transporter.
- b) Failure to furnish the acknowledged / receipted delivery challan & bill within 15 days of delivery of material shall be treated as contravention of responsibility of the transporter and

compensation @ 0.5% per week or part thereof delay subject to a maximum 5% of the transportation charges shall be recovered from the dues of the transporter.

- c) In case of all the incoming materials the transporter shall be responsible for Original for buyer [OFB] invoice copies, E-Way Bill and weighment slips etc.
- d) The transporter shall be responsible for collection of signed challan and such other relevant documents for goods transported from consignees like Jute Mills / Steel Plants etc.

12.0 PAYMENT TERMS

- a) 100% payment will be made within 30 days from the date of submission of bills along with supporting documents which includes LR copy duly acknowledged / receipted by the customer without any negative remarks and duly stamped.
- b) Payment shall be made on clear proof of delivery against receipt of material indicated on transporter LR by receiving authority of consignee.

13.0 AMENDMENT / RE-ALLOCATION OF THE NUMBER OF LOADS/ TRIPS.

The number of Loads/ Trips mentioned against each destination is only indicative/estimated. The number of loads / trips may be amended /re-allocated during operation. The transporter / contractor shall be bound to accept the amended / re-allocated numbers of loads/trips (increase or decrease) as per the requirement of the company.

14.0 NON-PLACEMENT OF VEHICLE AND RISK PURCHASE.

Transporter shall be required to place tankers promptly (preferably within 18 hrs from the call up) in clear dry condition. The transporter shall place the tankers at Vendors premises between 9.00 a.m. to 12.00 noon on working days and on holidays if required. If the vehicles report after 12.00 noon, and no load is given BL will not be responsible for turn around of vehicle or will not be liable for any detention charges. Transporter will have to provide the tankers as per daily call up for loading the quantity of material at vendors premises. In case Transporter fails to place tankers as per BL's call up even after 2 days from the call up date, BL shall be at liberty in transporting the goods by engaging any other transporter at the risk and cost of the contractor without further reference to the transporter.

15.0 TERMINATION OF CONTRACT

In the event of unsatisfactory performance, BL may reserve the right to terminate the contract without any notice. In this eventuality the Security Deposit shall be forfeited

16.0 FORCE MAJEURE

- a) Neither the Company nor the transporter shall, in any way, be held liable for non-performance either in whole or in part of this agreement or for any delay in the performance thereof in consequence of the following:

- Declared Strike / Bandhs
- Lockout / Lock down
- Natural Calamities
- Decrees of any Government or Governmental Authority.
- Revolution

- Wars
- Acts of enemies of the state.
- Riots
- Pandemic / Epidemic

- b) Any reason other than the above will not be considered as force majeure condition.
- c) As soon as the cause of Force Majeure has been removed, the party whose liability to perform its obligation has been affected shall notify the other of such cessation and inform the other party through such notice the actual delay incurred in such affected activities. Any such event which is Force Majeure, wherever it occurs, provided that it prevents, affects or delays the parties in performing contractual obligation shall justify the affected parties claim of Force Majeure.

17.0 GENERAL

- a. Workmen engaged by the transporter shall abide by factory / security regulations and entry inside the factory would be only against authorized gate pass. In every respect the transporter is responsible for the good behavior and conduct etc. of his employees, contractor or assigns. Any penalty or levies being imposed on client for this account for any reasons whatsoever will be recovered from the transporter.
- b. Sub-contracting contract shall not be allowed unless specially asked for and agreed by BL.
- c. Transporter should have own office at Kolkata and an authorized person with telephone/mobile for interaction on operational matters. Transporters will have to contact the local representative of the client in certain destinations / location as informed by the BL before delivering the material.
- d. Tracking facility for enroute status / position of the truck for delivery should preferably be provided for all locations.
- e. The transportation contract is by tank truck only.
- f. The Company reserves the right to accept or reject any or all bids in full or part without assigning any cause whatsoever. Decision by the company in this regard shall be final and binding on bidders.

18.0 COUNTER CONDITIONS/AMENDMENT OF TERMS

Counter conditions and / or amendment of offered terms after e-bidding shall make the offer liable for outright rejection and forfeiture of EMD/SD.

19.0 ARBITRATION & JURISDICTION

Dispute Resolution, Governing Law and Jurisdiction

This Agreement, and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by and construed in accordance with the laws of India.

All disputes, differences and questions of any nature including interpretation of this Agreement or arising out of or in connection with this Agreement or as to the rights, duties or liabilities under it of the Parties shall be referred to Arbitration. The procedure of the Arbitration shall be governed

under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended) and the rules thereunder as may be in force from time to time. The Arbitration proceedings shall be conducted in English language. The Seat of Arbitration shall be at Kolkata. The fees of the arbitrator will be divided equally. The Sole Arbitrator shall be appointed from the panel of arbitrators which shall be provided by Balmer Lawrie & Co.Ltd. to (the other party to the Agreement) and he/she shall assign reasons to the award.

Governing Law and Jurisdiction: The construction validity and performance of this Agreement shall be governed in all respects by the laws of the Republic of India. In relation to any legal action or proceedings to enforce this Agreement or any part hereof or any agreement pursuant thereto ("proceedings") each of the parties, Subject to the above clause, Parties irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the Courts at Kolkata only and waives any objection to proceedings in such Courts on the grounds of venue or on the grounds that the proceedings have been brought in an inconvenient forum. Government of India shall not be made party to any such dispute.

The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law.

20.0 GST Formalities and compliance with Regulations

Bidder shall warrant that all goods covered by this agreement / contract shall have been produced, sold, dispatched and delivered in strict compliance with all applicable laws, regulations, labor agreements, working conditions and technical codes and requirements as applicable from time to time. The Vendor shall execute and deliver such documents as may be required to effect or to evidence such compliance.

The vendor shall issue the GST paid invoice so that equivalent amount may be availed as GST credit by BL, if applicable. Vendor / vendor's nominated transporter shall ensure handing over of the transporter copy of GST paid invoice for availing GST credit & road permit to the company at the time of delivery of consignment. All unutilized / expired road permits shall be returned to the issuing unit.

"The vendor should compulsorily follow all the provisions of GST Law and in the event of any default of complying with any of the provisions of the GST Law, Balmer Lawrie would exercise the right for non-payment / withholding payment / black listing the vendor."

21.0 TENDER CANCELLATION

The tender may be cancelled due to any unforeseen / unavoidable circumstances or due to any other reason at any stage of the tender processing as per the sole discretion of BL and BL is not liable to provide any reason to the applicants for the same.

22.0 CONDITIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

22.1 Procedure for Bid Submission

The bidder shall submit his response through bid submission to the tender on e-Procurement platform at <https://balmerlawrie.eproc.in> by following the procedure given below. The bidder would be required to register on the e-procurement market place at <https://balmerlawrie.eproc.in> and submit their bids online. No offline bids shall be entertained by the Tender Inviting Authority. The bidders shall submit their eligibility and

qualification documents, Technical bid, Financial bid etc., in the standard formats prescribed in the Tender documents, displayed in e-procurement web site. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., if required, in support of their eligibility criteria/technical bids in the e-procurement web site. However, bulky documents need not be scanned and uploaded but physical copy of the same should be sent to the Tender Inviting Authority office before the tender opening date. The bidder shall sign on the statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authenticity.

22.2 Registration with e-Procurement platform

For registration and online bid submission bidders may contact HELP DESK of M/s C1 India Pvt., Ltd., or they can register themselves online by logging in to the website <https://balmerlawrie.eproc.in>

22.3 Digital Certificate authentication

The bidder shall authenticate the bid with his Digital Certificate for submitting the bid electronically on e-procurement platform and the bids not authenticated by digital certificate of the bidder will not be accepted on the e-procurement platform. All the bidders who do not have Digital Certificates need to obtain Digital Certificate. They may contact Help Desk of C1 India Pvt Ltd.

M/s C1 India Pvt Ltd.
C104, Sector 2, Noida - 201301

Contact person :

Mr.Tuhin Ghosh, Ph- 08981165071 : e-mail: tuhin.ghosh@c1india.com

Mr.Tirtha Das, e-mail id : tirtha.das@c1india.com , Contact No: +91-9163254290

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1. Mr. Tirtha Das(Kolkata) | tirtha[dot]das[at]c1india[dot]com | +91-9163254290 |
| 2. Mr. Partha Ghosh(Kolkata) | partha[dot]ghosh[at]c1india[dot]com | +91-8811093299 |
| 3. Mr. CH.ManiSankar (Chennai) | chikkavarapu[dot]manisankar[at]c1india[dot]com | +91-8939284159 |
| 4. Ms. UjwalaShimpi (Mumbai) | ujwala[dot]shimpi[at]c1india[dot]com | +91-022- 66865608 |

22.4 Submission of Hard copies

Before submission of bid online, the bidders are requested to submit the other supporting documents and EMD through courier in sealed envelope as applicable so as to reach us before opening of tender on-line.

22.5 Corrigendum to tender

The bidder has to keep track of any changes by viewing the addendum / Corrigendum's issued by the Tender Inviting Authority on time-to-time basis in the e-Procurement platform. The Company calling for tenders shall not be responsible for any claims/problems arising out of this.

22.6 Bid Submission Acknowledgement

The user should complete all the processes and steps required for bid submission. The successful bid submission can be ascertained once acknowledgement is given by the system through bid submission number after completing all the processes and steps. Tender Inviting Authority and C1 India Pvt. Ltd. will not be responsible for incomplete bid submission by users. Users may also note that the incomplete bids will not be saved by the system and are not available for the Tender Inviting Authority for processing.

Before uploading scanned documents, the bidders shall sign on all the statements, documents, certificates uploaded by him, owning responsibility for their correctness / authenticity

Yours faithfully,
for **Balmer Lawrie & Co. Ltd**
Subhadeep Karmakar
Jr. Officer (Stores & Purchase)

Phone : 033 - 2450 0133
Fax : 033 - 2439 2277 / 5160
E-mail : karmakar.sd@balmerlawrie.com

**Proforma of the Bank Guarantee
(for Security Deposit)**

Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(Address)

Dear Sir,

That Messrs/Mr _____ (set out full name and address and constitution of the Contractor) (hereinafter referred to as "the Contractor") filed their/his/its quotation against your tender being Tender No. dated _____ (hereinafter referred to as "the said Tender") for the work _____ (set out the purpose of the job) and in pursuance thereto an Order being No. _____ dated _____ (hereinafter referred to as "the Order") was issued by you to the Contractor.

The conditions of the said Tender, inter alia, requires that the Contractor shall pay a sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) as full security deposit (hereinafter referred to as "the security deposit") in the form therein mentioned. The form of payment of security deposit includes a guarantee to be executed by a Scheduled Bank.

The said Messrs/Mr. _____ (set out full name of the Contractor) have/has approached us and at their/his/its request and in consideration of the premises We, _____ (set out full name of the Bank) having our office, inter alia. at _____ (state the address of Bank) have agreed to give such guarantee in the manner following:

1. We, _____ (set out full name of the Bank). hereby undertake and agree with you if default is made by Messrs/Mr. _____ (set out full name of the Contractor), in performing any of the terms and conditions of the Tender and/or order or in payment of the security deposit or any other or in payment of money payable to you, We _____ (set out full name of the Bank) shall merely on demand from you without demur or protest shall pay you the said amount of Rs. _____ (Rupees _____ only) or such portion thereof not exceeding the said sum as you may demand from time to time.
2. We, _____, (set out full name of the Bank), further agree with you that you shall have the fullest liberty to without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to adopt any mode for realisation of your dues from the Contractor and/or to vary any of the Terms and Conditions of your Contract with the said Messrs/Mr. _____ (set out full name of the contractor), or to extend time of performance by Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by you against Contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Contract and We, _____, (set out full name of the Bank) shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or any indulgence to be given by you to the Contractor or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so releasing us.

3. Your right to recover the said sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) from us in the manner aforesaid will not be affected or suspended by reason of the fact that any dispute or disputes is/are pending before any Officer, tribunal, court of any other authority of authorities.
4. The guarantee herein contained shall not be determined or affected by liquidation or winding up, dissolution or change of constitution or insolvency of the said Messrs/Mr. _____ (set out the full name of the contractors), but shall in all respect, and for all purposes be binding and operative until payment of all the money due to you in respect of such liabilities is paid.
5. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (Rupees _____ only).
6. Our guarantee shall remain in force and effect until _____ (set out the date of Expiry), and unless a claim or demand in writing is made against us under this guarantee before the expiry of six months from the aforesaid date i.e. _____ (set out last date of Claim Period), the said Guarantee all your rights under this guarantee shall be forfeited and We, _____, (set out full name of the Bank) shall be relieved and discharged from all liabilities thereunder.
7. We, _____ (set out full name of the Bank) undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with your previous consent in writing.
8. We, _____, (set out full name of the Bank) have power to issue this Guarantee in your favour under our Memorandum and Articles of Association and the undersigned has full power to execute/sign this Guarantee under the Power of the Attorney dated the _____ day of Two Thousand Twenty granted by the Bank.

Yours faithfully,

Dated:

_____(Place)

_____(Date)

(Signature of the Officer on behalf
of _____)
(set out name of the Bank)

Integrity Pact

Annexure- II

Balmer Lawrie & Co. Limited (BL) hereinafter referred to as "The Principal".

And

_____, hereinafter referred to as "The Bidder/Contractor"

Preamble

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures, contract/s for _____.

The Principal values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relations with its Bidder(s) and /or Contractor(s).

In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1- Commitments of the Principal

1. The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles: -
 - a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for, or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.
2. If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section2- Commitments of the Bidder(s)/ Contractor(s)

1. The Bidder(s)/Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.
 - a. The Bidder(s) / Contractor(s) will not, directly or through any other persons or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.
 - b. The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c. The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s) /Contractors will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - d. The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly, the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any. Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" shall be disclosed by the Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only. **Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" as annexed and marked as Annexure - A**
 - e. The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose

any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.

2. The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section 3: Disqualification from tender process and exclusion from future contracts

If the Bidder(s)/Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s) /Contractor(s) from the tender process or act as per the procedure mentioned in the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting". **Copy of the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting" is annexed and marked as Annexure - B.**

Section 4: Compensation for Damages

- a) If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/Bid Security.
- b) If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal is entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5: Previous Transgression

- a. The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last three years with any other company in any country conforming to the anti-corruption approach or with any other public sector enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.
- b. If the bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken as per the procedure mentioned in "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting".

Section 6: Equal treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors.

- a. The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact, and to submit it to the Principal before contract signing.

- b. The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all bidders, contractors and subcontractors.
- c. The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

Section 7: Criminal charges against violation Bidder(s)/ Contractor(s)/Subcontractor(s).

If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, Contractor or Subcontractor which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

Section 8: Independent External Monitor/Monitors

- (a) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
- (b) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He reports to the Chairman & Managing Director, BL.
- (c) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all project documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/Contractor(s)/Subcontractor(s) with confidentiality.
- (d) The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor the option to participate in such meetings.
- (e) As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- (f) The Monitor will submit a written report to the CMD, BL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal and,

should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

- (g) Monitor shall be entitled to compensation on the same terms as being extended to / provided to Independent Directors on the BL Board.
- (h) If the Monitor has reported to the CMD, BL, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the CMD, BL has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- (i) The word 'Monitor' would include both singular and plural.

Section 9 - Pact Duration

This pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 10 months after the last payment under the contract, and for all other Bidders 6 months after the contract has been awarded.

If any claim is made / lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged / determined by CMD, BL.

Section 10 - Other provisions

- a) This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. Kolkata.
- b) Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- c) If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.
- d) Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(For & on behalf of the Principal)

(For & On behalf of Bidder/Contractor)

(Office Seal)

(Office Seal)

Place -----

Date -----

Witness 1:
(Name & Address)

Witness 2:
(Name & Address)

GUIDELINES FOR INDIAN AGENTS OF FOREIGN SUPPLIERS

- 1.0 There shall be compulsory registration of agents for all global (Open) Tender and Limited Tender. An agent who is not registered with BL shall apply for registration in the prescribed Registration Form.
- 1.1 Registered agents will file an authenticated photocopy duly attested by a Notary Public/ Original certificate of the Principal confirming the agency agreement and giving the status being enjoyed by the agent and the commission/ remuneration/ retainer-ship being paid by the principal to the agent before the placement of order by BL.
- 1.2 Wherever the Indian representatives have communicated on behalf of their principals and the foreign parties have stated that they are not paying any commission to the Indian agents, and the Indian representative is working on the basis of salary or as retainer, a written declaration to this effect should be submitted by the party (i.e. Principal) before finalizing the order.

2.0 DISCLOSURE OF PARTICULARS OF AGENTS/ REPRESENTATIVES IN INDIA, IF ANY.

- 2.1 Tenderers of Foreign nationality shall furnish the following details in their offer:
 - 2.1.1 The name and address of the agents/representatives in India, if any, and the extent of authorization and authority given to commit the Principals. In case the agent/ representative be a foreign Company, it shall be confirmed whether it is real substantial Company and details of the same shall be furnished.
 - 2.1.2 The amount of commission/ remuneration included in the quoted price(s) for such agents/representatives in India.
 - 2.1.3 Confirmation of the Tenderer that the commission/ remuneration if any, payable to his agents/ representatives in India, may be paid by BL in Indian Rupees only.
- 2.2 Tenderers of Indian Nationality shall furnish the following details in their offers:
 - 2.2.1 The name and address of the foreign Principals, if any, indicating their nationality as well as their status, i.e, whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to tender either directly or through the agents/representatives.
 - 2.2.2 The amount of commission /remuneration included in the price(s) quoted by the tenderer for himself.
 - 2.2.3 Confirmation of the foreign principals of the Tenderer that the commission/ remuneration, if any, reserved for the Tenderer in the quoted price(s), may be paid by BL in India in equivalent Indian Rupees on satisfactory completion of the Project or supplies of Stores and Spares in case of operation items.

- 2.3 In either case, in the event of contract materializing, the terms of payment will provide for payment of the commission/ remuneration, if any, payable to the agents /representatives in India in Indian Rupees on expiry of 90 days after the discharge of the obligations under the contract.
- 2.4 Failure to furnish correct and detailed information as called for in paragraph 2.0 above will render the tender concerned liable to rejection or in the event of a contract materializing, the same liable to termination by BL. Besides this, there would be a penalty of banning business dealings with BL or damage or payment of a named sum.

* * * *

****In case any deviation in language, English part will be considered final.***

Annexure - I [Tender No: GLK/TE20/182, dtd 24.11.2020, due on 04.12.2020 (15:00 Hrs)]

| MARKET NO | JOB DESCRIPTION | UOM | EXPECTED ANNUAL QTY |
|-----------|---|-------------|---------------------|
| A | TANK TRUCK -18 KL and above [MARKET - A] | | |
| 1 | TRANSPORTATION OF BASE OILS, FUEL OILS, CBFS ETC. FROM VARIOUS OIL TERMINALS [LOCATED IN AND AROUND KOLKATA WITHIN RADIUS OF 20 KMS] THROUGH TANK TRUCKS TO OUR FACTORY AT G&L- KOLKATA | KL | 15000 |
| | | | |
| MARKET NO | JOB DESCRIPTION | UOM | EXPECTED ANNUAL QTY |
| B | TANK TRUCKS - 15 MT [MARKET- B] | | |
| 1 | TRANSPORTATION OF BITUMEN THROUGH TANK TRUCKS FROM HALDIA TO KOLKATA | MT | 1500 |
| | | | |
| MARKET NO | JOB DESCRIPTION | UOM | EXPECTED ANNUAL QTY |
| C | TANK TRUCK - 12 KL [MARKET - C] | | |
| 1 | TRANSPORTATION OF BULK LUBE OIL CONSIGNMENTS OF 12 KL FROM G&L TO VARIOUS JUTE MILLS AND OTHER CUSTOMERS LOCATED WITHIN 60 KM FROM OUR PLANT IN & AROUND KOLKATA | TRIP | 9 |
| 2 | TRANSPORTATION OF BULK LUBE OIL CONSIGNMENTS OF 8 KL FROM G&L TO VARIOUS JUTE MILLS AND OTHER CUSTOMERS LOCATED WITHIN 60 KM FROM OUR PLANT IN & AROUND KOLKATA | TRIP | 15 |
| 3 | TRANSPORTATION OF BULK LUBE OIL CONSIGNMENTS OF 4 KL FROM G&L TO VARIOUS JUTE MILLS AND OTHER CUSTOMERS LOCATED WITHIN 60 KM FROM OUR PLANT IN & AROUND KOLKATA | TRIP | 45 |
| | | | |

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

ग्रीज़स एंड लुब्रिकेंट्स, कोलकाता
पी-43, हाइड रोड एक्सटेंशन,
कोलकाता – 700 088

“निविदाकृत मद जीईएम में उपलब्ध नहीं है/हैं। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड को जीईएम पर उक्त वस्तु (वस्तुएं) उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

निविदा संख्या : जीएलके/टीई20/182, दिनांक 24.11.2020

निर्धारित तिथि और समय : 04.12.2020, 15.00 बजे (भारतीय मानक समय)

टैंक ट्रकों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए निविदा

निविदा प्रकार: बीएल ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट के माध्यम से दो बोली प्रक्रिया के साथ सार्वजनिक निविदा।

1.0 प्रस्तावना

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल), पी43, हाईड रोड एक्सटेंशन, कोलकाता -700 088 में स्थित अपने कारखाने [आगे "कारखाना" के रूप में संदर्भित] से और तक, संलग्न अनुलग्नक -I के अनुसार थोक में पेट्रोलियम पदार्थों के अंतर्देशीय/बाहरी परिवहन के लिए बोलियां आमंत्रित करता है। उल्लिखित वार्षिक भार सर्वोत्तम अनुमान हैं और ये बाध्यतामूलक नहीं हैं।

2.0 अनुबंध का समय

क) अनुबंध की अवधि अठारह महीने के लिए होगी (अर्थात् 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2022 तक)

ख) अनुबंध को लिखित रूप में बीएल और अनुबंधित ट्रांसपोर्टर्स के आपसी समझौते के आधार पर दरों सहित, समान नियमों और शर्तों के साथ आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

3.0 पूर्व योग्यता मानदंड

बोलीदाता का निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

क. बोलीदाता के पास निम्नलिखित का होना आवश्यक है

| बाजार (मंडी) | क्षमता (न्यूनतम) | टैंक ट्रकों की न्यूनतम संख्या |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| क | 18 केएल (बेस लोड) | 8 (आठ) |
| ख | 15 मेट्रिक टन (बेस लोड) | 2 (दो) |
| ग | 12 केएल (बेस लोड) | 2 (दो) |

सभी टैंक ट्रक 10 (दस) वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और उनके पास वैधानिक प्राधिकरण से वैध अंशांकन प्रमाणपत्र सहित सभी वैध वैधानिक दस्तावेज होने चाहिए। एलओआई / अनुबंध/पीओ में से जो भी पहले जारी हो रहा है, उसके के 7 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज जमा करने होंगे, ऐसा करने में विफल होने पर एलओआई / अनुबंध/पीओ रद्द किए जा सकते हैं और बयाना राशि को जब्त किया जा सकता है। हालांकि तकनीकी बोली के साथ केवल टैंकों की आरसी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, जो या तो ट्रांसपोर्टर या मालिक या निदेशक या भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए।

ख. बोलीदाता को तेल पीएसयू/प्राइवेट पेट्रोलियम तेल कंपनियों (तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र/पीओ की प्रतिलिपि) के साथ टैंकों में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

ग. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी वर्ष बोलीदाता का कारोबार न्यूनतम 50 लाख रुपए होना आवश्यक है। लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट/पीएल खाते जैसे सहायक दस्तावेजों को तकनीकी बोली के साथ जमा किया जाएगा।

टिप्पणी:

(i) सभी टैंकों को नीचे उल्लिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

क) ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

ख) टैंक ट्रकों में उचित और वैध बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र, सड़क परमिट की प्रतिलिपि और अन्य आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

ग) प्रत्येक टैंक ट्रक में एक क्लीनर होना चाहिए।

घ) ड्राइवर, क्लीनर को सभी आवश्यक पीपीई पहनना चाहिए।

ड) सभी टैंक ट्रकों के टायरों में उचित ट्रेड्स होना चाहिए।

च) टैंक ट्रकों की हेड लाइट, संकेतक और रिवर्स हॉर्न काम करने की स्थिति में होना चाहिए।

4.0 बयाना राशि [ईएमडी] और सुरक्षा जमा [एसडी]

क) बोलीदाता 50,000 रुपए की ब्याज मुक्त बयाना राशि (केवल पचास हजार) जमा करेगा। बयाना राशि का भुगतान ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण/बैंक गारंटी/पे ऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा, जो "बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड" के पक्ष में कोलकाता में देय हो और इसे पूर्व-योग्यता बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा का फैसला बोलने के तुरंत बाद असफल बोलीकर्ताओं की बयाना राशि वापस

कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता (ओं) की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि करने तक बरकरार रखा जाएगा।

जिन बोली दाताओं की बयाना राशि /प्रतिभूति राशि बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के पास पहले से पड़ी हो, वे बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड से लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं कि बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा सत्यापन के बाद पहले से जमा राशि को, वर्तमान निविदा के लिए बयाना राशि माना जाए, बशर्ते कि वह इस निविदा के लिए आवश्यक बयाना राशि के संदर्भ में पर्याप्त हो।

ख) सफल ट्रांसपोर्टर (ट्रांसपोर्टरों) को बीएल के प्रारूप के अनुसार आदेश के संतोषजनक निष्पादन के प्रतिभूति के तौर पर, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या उसके बदले किसी "ए" अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के रूप में, आदेश के मूल्य के 5% के बराबर राशि सुरक्षा जमा या प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि आदेश जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, बीएल को आदेश रद्द करने और बोलीदाता को आगे कोई सूचना दिए बिना बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

ग) प्रदत्त सेवाओं के लिए कंपनी के पास बकाया राशि वाले बोलीदाता ऐसी बकाया राशि बयाना राशि/प्रतिभूति राशि की ओर गिरवी रखकर, बयाना राशि/प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर सकते हैं। बकाया राशि में बकाया या न किए गए सभी भुगतान शामिल होंगे। इस खंड के अंतर्गत बयाना राशि/प्रतिभूति का प्रस्तुतिकरण कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार से प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन होगा।

5.0 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रावधान (एमएसई):

योग्यता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार एमएसई विक्रेताओं को योग्य बनाने के लिए उन्हें निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे।

क. अपना पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करने और योग्यता मानदंड को पूरा करने पर, योग्य पंजीकृत एमएसई विक्रेताओं को बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

ख. निविदाओं में मूल्य कोटेशन के लिए वरीयता: एल 1 + 15% की मूल्य सीमा के भीतर मूल्य उद्धृत करने वाला योग्य सूक्ष्म और लघु उद्यम, कीमत को एल1 के बराबर लाकर आवश्यकता के एक हिस्से की आपूर्ति करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा, बशर्ते कि एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा किसी और द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एल1 ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संबंधित संयंत्रों में विशेष ग्रेड(ग्रेडों)/वस्तु(वस्तुओं) के लिए कुल निविदा मात्रा के 25 प्रतिशत की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसे निविदा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त माना जाता है। यह आगे ध्यान दिया जा सकता है कि यदि एक से अधिक ऐसे विधिवत योग्य एमएसई बोलीदाता गैर-एमएसई की कीमत एल1 मूल्य से मेल खाती हैं, तो निविदा मात्रा के 25% को, एल1 से मेल खानी कीमत देने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यदि एक से अधिक एमएसई बोली

दाताओं ने उक्त मूल्य बैंड (एल1 + 15%) में दर उद्धृत की है, तो ऐसे सभी एमएसई बोलीदाताओं को निविदाकर्ता द्वारा एल1 बोली से मिलान करने के लिए उनकी स्वीकृति मांगते हुए सूचित किया जाएगा।"

उपरोक्त लाभों का लाभ उठाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए योग्यता मानदंड:

क. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेता को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि मंत्रालय के परिपत्र संख्या एफ: सं.21 (17) / 2016 दिनांक 06.04.18 के अनुसार इस निविदा के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेता माने जाने के लिए यूएम सं. को सीपीपी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। योग्यता प्राप्त और पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं को पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करने पर, बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल [सीपीपी] पर उद्योग आधार ज्ञापन [यूएम नंबर] की घोषणा अनिवार्य है। सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं को संयंत्र और मशीनों या उपकरण में निवेश के लिए एक प्रमाण पत्र (एक पेशेवर लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्हें आगे पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए एक पेशेवर लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता या बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते की अनुपस्थिति में, एक पेशेवर लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष के कारोबार का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

ख. उपर्युक्त प्रावधान एमएसई द्वारा प्रदान की गई केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हैं, उनके द्वारा की गई किसी भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए नहीं। बोलीदाता द्वारा एक स्व-प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत वस्तु का निर्माण या सेवा की जाती है। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड को उसे सत्यापित करने का अधिकार है।

ग. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी विवरण अनिवार्य हैं।

बोलीदाता को एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी एमएसई स्थिति प्रस्तुत करने से पहले **"एमएसई की नई परिभाषा" के संबंध में दिनांक, 1 जून, 2020 की सरकारी अधिसूचना** पढ़नी चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2020

एस.ओ. 1702(ई).— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (27 की 2006) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना के अधिमूल्यन में भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय, दिनांक 29 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र में

प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 1642 (ई), 30 सितंबर 2006 दिनांकित अनुसार सिवाय इसके कि इस तरह के अधिमूल्यन से पहले की गई चीजों को या की गई चीजों को छोड़ने के अलावा केंद्र सरकार, इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंड अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

(i) एक सूक्ष्म उद्योग, जहां संयंत्र और मशीनों या उपकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं हुआ है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ii) एक छोटा उद्यम, जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

यह अधिसूचना 01.07.2020 से लागू हो गई है

9.1-मेक इन इंडिया नीति के लिए प्राथमिकता - उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रचार के लिए विभाग की 04.06.2020 दिनांकित निविदाकृत वस्तुओं (आदेश सं. पी 45021/2/2017-पीपी (बीई-) में स्थानीय सामग्री।

आगे उपर्युक्त संदर्भित आदेश 'स्थानीय सामग्री, "वर्ग -I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"स्थानीय सामग्री" का अर्थ है भारत में जोड़े गया मूल्य जो जब तक कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक खरीदे गए मद का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर)) कुल मूल्य के अनुपात में प्रतिशत में मद में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सीमा शुल्क सहित) घटा कर ।

वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता –का आशय एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसका माल, सेवाओं या कार्य खरीद के लिए पेश किए गए हैं, उसमें स्थानीय सामग्री 50% के बराबर या उससे अधिक है, जैसा कि इस आदेश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता –का आशय आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसका माल, सेवाओं या खरीद के लिए पेश किए गए कार्यों में, स्थानीय सामग्री 20% से अधिक, लेकिन 50% से कम है, जैसा कि इस आदेश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

विक्रेताओं को ध्यान देना चाहिए कि केवल "क्लास I स्थानीय सेवा प्रदाता" इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र हैं।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 करोड़ रुपये से कम मूल्य के लिए खरीद के मामले में, आपको निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने और अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने पत्र पर एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा और 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खरीद के मामले

में, आपको कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखा परीक्षक से या सांविधिक लेखा परीक्षक (कंपनियों की तुलना में आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) का प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है) वस्तुओं की स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देना। आपका ध्यान भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अनुच्छेद 9 (च) और (छ) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें झूठी घोषणा के मामले में की जाने वाली कार्रवाई का वर्णन किया गया है।

| क्रम सं | सेवा का विवरण | आपकी सेवा में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत |
|---------|---------------------------|--|
| | टैंकर के माध्यम से परिवहन | |

स्थानीय सामग्री का सत्यापन

1. झूठी घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175 (1) (i) (ज) के अंतर्गत वफादारी संहिता का उल्लंघन होगी जिसके लिए एक बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151 (iii) के अनुसार दो साल तक के लिए निविदा में भाग लेने से रोका जा सकता है, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयां की जा सकती हैं जो कानून के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकती हैं।

2. जिस आपूर्तिकर्ता पर इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा रोक लगाई गई है, वह इस आदेश के अंतर्गत रोक की अवधि के लिए किसी अन्य खरीद संस्था द्वारा भी खरीदे जाने के लिए वरीयता का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद (ज) में निर्धारित तरीके के अनुसार ऐसी अन्य खरीद संस्थाओं द्वारा लगाई गई रोक उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन यह अन्य खरीद संस्थाओं के संज्ञान में आता है।

6.0 निविदा में भागीदारी

6.1 इच्छुक बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे केवल ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से बोली (दो बोली प्रणाली) के लिए आवेदन करें। इसके लिए उनके पास उपयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता लॉगिन और पासवर्ड होना आवश्यक है। निम्नलिखित दस्तावेजों को सिस्टम में अपलोड किया जा सकता है या उनकी निविदा भागीदारी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीलबंद लिफाफे में भेजा जा सकता है:

क) **मूल्य रहित बोली:-** निविदा दस्तावेज (अर्थात् यह दस्तावेज), या तो सीलबंद लिफाफे में भेजा जा सकता है या इस 'टेंडर' के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर इसे ई-प्रोक पर अपलोड किया जा सकता है।

ख) ट्रांसपोर्टर द्वारा पूर्व-योग्यता मानदंडों की पूर्ति का समर्थन/पुष्टि करने के लिए अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज।

ग) पूर्वोक्त अनुसार ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस आदि) का प्रमाण इस निविदा दस्तावेज में वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था। यदि डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से बयाना राशि का भुगतान किया जाता है, तो मूल डीडी/पे ऑर्डर कूरियर/हाथ से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि निविदा की निर्धारित तारीख और समय से पहले यह निविदा आमंत्रण करने वाले प्राधिकरण तक पहुंच जाए। ।

6.2 प्रतिभागियों को मूल्य बोली ऑनलाइन भी भरनी होगी। उद्धृत मूल्य निविदा के निर्धारित तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए मान्य होंगे। इस निविदा सूचना में मूल्य बोली का प्रारूप केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए संलग्न है। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं का ऑनलाइन मूल्य बोलियां को खोला/विचार किया जाएगा।

मूल्य बोली की हार्ड कॉपी तकनीकी बोली के साथ नहीं भेजी जानी चाहिए, न ही स्कैन की गई कॉपी को बीएल ई-प्रोक्योरमेंट साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, यदि ऐसा पाया जाता है, तो बोली रद्द कर दी जाएगी।

यह जरूरी नहीं है कि बोली लगाने वालों को सभी बाजारों के लिए बोली लगानी पड़े। बोलीदाता एक या अधिक बाजारों के लिए बोली लगा सकते हैं।

हालाँकि, जो बोलीदाता बाजार ग के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें बाजार ग के सभी भार वर्ग के लिए दर उद्धृत करना चाहिए, अन्यथा उस विशेष बाजार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.0 दरों का आधार

दर का आधार निम्नानुसार होगा:

क. सभी करों, प्रभारों और वैधानिक शुल्क के प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के पर वास्तविक रूप से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

ख. यदि प्रयोज्य हो, तो सामान लोड करने के लिए मजदूरी, सामान उतारने के लिए मजदूरी और अन्य सभी आकस्मिक खर्चों को शामिल किया जाएगा।

ग. उद्धृत की गई दर इस तथ्य पर ध्यान देने योग्य होगी कि सभी लोडिंग/अनलोडिंग की दी गई अनुमति के अनुसार "खाली समय" में की जाएगी और कंपनी पर लगाया गया कोई भी प्रतिलाभ पूर्ण रूप से ट्रांसपोर्टर से वसूल किया जाएगा।

घ. परिभाषित अनुसार वृद्धि/कमी के खंड को छोड़कर उद्धृत दर अनुबंध अवधि के दौरान स्थिर रहेगा।

ड. हमारे वे ब्रिज या वॉल्यूम गणना के आधार पर उत्पाद की वास्तविक प्राप्ति के आधार पर फ्रेट शुल्क का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा और वही अंतिम होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए:

1. सभी रसीदें बीएल के कारखाने (ग्राहक के परिसर में - भेजी जाने वाली सामग्री के मामले में) पर की गई तौल के अनुसार होंगी और वही अंतिम और बाध्यकारी होगी। कारखाने/ग्राहक के परिसर में चालान भार

और वास्तविक वजन के बीच कम प्राप्ति की मात्रा दर्ज की जाएगी और यदि अंतर 20 किलो से अधिक है, तो अंतर की मात्रा पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर से वसूली जाएगी।

कोलतार (बिटमन) उत्पादों के लिए:

I. सभी रसीदें कारखाने में की गई तौल के अनुसार होंगी और वही अंतिम और बाध्यकारी होंगी। चालान भार और कारखाने में प्राप्त सामग्री की वास्तविक वजन के बीच के अंतर की कीमत पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर से वसूल की जाएगी, हालांकि, उसे मासिक आधार पर अतिरिक्त आपूर्ति, यदि कोई हो, तो उसके लिए समायोजित किया जाएगा, ।

II. कम सुपुर्दगी के मामले में, देय माल ढुलाई प्रभार कम वितरित मात्रा के अनुपात में कम हो जाएगा।

III. जब सामग्रियों के परिवहन के लिए लोडिंग/अनलोडिंग किया जाता है, तो मात्रा को कारखाने की प्रयोगशाला में किए जाने वाले नमूना परीक्षण के अनुसार तापमान को सही विशिष्ट गुरुत्व/घनत्व द्वारा बराबर वजन में परिवर्तित किया जाएगा। अंतर 20 किलोग्राम से अधिक होने के मामले में लदान बिंदु पर समतुल्य भार और तौल पर्ची के बीच के अंतर की सामग्री का मूल्य पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर से वसूल किया जाएगा। 20 किलोग्राम तक के अंतर के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

बाहर भेजी जाने वाली सामग्री के लिए, सभी रसीदों पर ग्राहक/बीएल के कारखाने का वजन लागू किया जाएगा और वही अंतिम और बाध्यकारी होगा। कम सुपुर्दगी के कारण बीएल को हुई खेप की कटौती के भुगतान को ट्रांसपोर्टर के खाते में काटा जाएगा।

च. जब तक लिखित रूप से बीएल द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक ट्रांसशिपमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

छ. खंड 10.0 के अनुसार पारगमन बीमा बीएल द्वारा कवर किया जाएगा।

ज. निविदा जमा करने की निर्धारित तारीख से 60 दिनों तक की स्वीकृति के लिए उद्धृत दरें मान्य होंगी।

झ. बीएल किसी भी कारण से उतारने के गंतव्यों से ट्रकों की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी जमीन पर कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा।

8.0 चयन का आधार

8.1 चयन का आधार तथा आदेश जारी करने का कार्य निम्नानुसार किया जाएगा:

क. बीएल ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत ऑन-लाइन मूल्य बोलियों का उपयोग बोलीदाताओं के बाजार के अनुसार किया जाएगा। बोली दाता को आदि बाजार हिसाब से एल1, एल2, एल3 में वर्गीकृत किया जाएगा।

ख. आदेशों को एल1 बोलीदाता और एल1 से मिलान करने वाले बोलीदाता के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। एल1 से मिलान करने का विकल्प पहले एल2 बोलीदाता को दिया जाएगा, यदि एल2 बोलीदाता ने एल1 की दर से मिलान करने से इंकार कर दिया, तो क्रमिक रूप से, इसे एल3, एल 4 आदि बोलीदाताओं को एल1 से मिलान करने की पेशकश की जाएगी (जब तक एल1 मिलान बोलीदाता की पहचान नहीं की जाती है)। यदि कोई बोलीदाता एल1 की दर से मेल नहीं करता है, तो बीएल के पास एल1 को 100% आदेश देने का अधिकार है। हालाँकि, आदेश की मात्रा पर पहुंचने के लिए निविदा की कुल मात्रा से एमएसई के आदेशों को हटा दिया जाएगा जो कि पहले से 60.40 अनुपात में विभाजित किया जाना है।

ग. प्रत्येक बाजार के लिए एल1, एल2, एल 3 इत्यादि की रैंकिंग, प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध उद्धृत दर के आधार पर उस दूरी के स्लैब के लिए अनुमानित मात्रा से गुणा करके की जाती है। बाजार का कुल बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़ा जाएगा। कुल बाजार मूल्य के आधार पर, एल 1, एल 2, एल 3 आदि का निर्णय बाजार के हिसाब से किया जाएगा।

घ. जब एल1 बोलीदाता के अलावा एल1 मूल्य से मिलान करने की पेशकश की जाती है, तो अन्य बोलीदाता को एल1 बोलीदाता द्वारा पेश किए गए कुल बाजार मूल्य से मिलान करने की आवश्यकता होती है और श्रेणी-वार दरों की गणना एल1 से मिलान करने वाले बोलीदाता की दूरी स्लैब के दर पर पहुंचने के लिए आनुपातिक (कम) की जाएगी।

ङ. बाजार मूल्यों के आधार पर एल 1 बोलीदाता और एल 1 मेल करने बोलीदाता को 60:40 के अनुपात में अनुबंध सौंपा जाएगा और तदनुसार इसे संबंधित मात्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

8.2 प्रत्येक बाजार के लिए बोली का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन और आदेश जारी किया जाएगा।

8.3 प्रत्येक बाजार में विभाजित आदेश/आंशिक आदेश/पूरा आदेश बीएल द्वारा तय किया जाएगा और सभी बोलीदाता इस संबंध में बीएल द्वारा लिए गए किसी भी/सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। किसी अनुरोध/अपील को स्वीकार/या उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.0 दर में वृद्धि/कमी

क) जब डीजल मूल्य का अंतर संदर्भित डीजल दर से 3.00/ लीटर अधिक हो जाए तो वृद्धि / कमी देय होगी। उदाहरण के लिए, यदि टेंडर की निर्धारित तिथि पर डीजल की दर, ₹70 है, तो, जब डीजल दर ₹ 73/67 पहले उदाहरण में है, फिर जब डीजल दर दूसरे उदाहरण में ₹ 76/70/64 होने पर मूल्य वृद्धि और कमी ही विचार किया जाएगा। (अर्थात एक बार जब डीजल की कीमत में 3.00 रुपये की वृद्धि/कमी हो जाती है तो बढ़त/कमी लागू होगा और बढ़े हुए / घटे हुए डीजल मूल्य, जिसके आधार पर वृद्धि/कमी को निष्पादित किया जाएगा, तथा इसे भविष्य में किसी भी वृद्धि/कमी के लिए नया संदर्भ डीजल मूल्य माना जाएगा।

ख) निविदा के निर्धारित तारीख पर कोलकाता में आईओसीएल द्वारा लगाए गए डीजल का प्रचलित खुदरा मूल्य "डीजल रेट" होगा। निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार वृद्धि/कमी को निकटतम रुपए के लिए समायोजित किया जाएगा:

$$\text{अनुबंध दर में लागू अंतर} = \frac{0.25 \times \text{पिछली लागू दर} \times \text{डीजल में वृद्धि/कमी}}{\text{अंतिम संदर्भ डीजल दर}}$$

उदाहरण के लिए:

| अनुबंध दर नई अनुबंध दर ₹ 10,000 [डीजल का संदर्भ मूल्य – ₹ 70/लीटर] | डीजल की दर (₹ / लीटर) | उपरोक्त सूत्र के अनुसार अंतर | दर ₹ |
|---|--------------------------|------------------------------|---------|
| | 67.20 | शून्य कमी तक < 3 | 10,000 |
| | 72.90 | शून्य वृद्धि तक < 3 | 10,000 |
| | 73.10 | (+) 110.71 | 10,111* |
| | 75.00 | शून्य वृद्धि तक < 3 | 10,111* |
| | 66.75 | (-) 219.58 | 9,891* |

(*करीबी रुपए तक समायोजन)

10.0 पारगमन बीमा

ट्रांजिट बीमा बीएल द्वारा कवर किया जाएगा। हालांकि, ट्रांसपोर्टर को इस तरह की घटना के 30 दिनों के भीतर, सर्वेक्षण के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है, मार्ग के दावों के लिए एफआईआर दर्ज करना, ट्रांजिट के दौरान या ग्राहक के यहाँ किसी भी कम डिलीवरी के लिए कमी/क्षति प्रमाणपत्र या क्षति का प्रमाणपत्र जारी करना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों के लिए ट्रांसपोर्टर का प्रासंगिक बिल आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही निपटाया जाएगा। बीएल को बीमा कंपनी से दावा करने में सक्षम करने के लिए ट्रांसपोर्टर को बीमा औपचारिकताओं का पालन करना होगा ताकि पारगमन में रिसाव/चोरी के कारण किसी भी तरह के नुकसान या उत्पादों की हानि या नुकसान न हो सके। यदि ट्रांसपोर्टर बीमा कंपनी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बीएल ट्रांसपोर्टर से नुकसान के बराबर मूल्य वसूल करेगा। ट्रांसपोर्टर के ट्रक/कर्मचारी द्वारा बीएल के परिसर के भीतर और/या ग्राहक के परिसर में होने वाली किसी भी क्षति/चोरी की भरपाई भी ट्रांसपोर्टर को करनी होगी।

11. डिलीवरी चालान

क) ट्रांसपोर्टर खरीदार के लिए मूल [बीओबी], ट्रांसपोर्टर के लिए प्रतिलिपि [डीएफटी] प्रति, ई-वे बिल या सत्यापन/मंजूरी के लिए चेकपोस्ट के अधिकारियों और प्रदायगी पर पारेषिती द्वारा आवश्यक अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी में रहने के दौरान डीएफटी प्रति की हानि/क्षति के कारण बीएल को होने वाली किसी भी तरह की वित्तीय हानि ट्रांसपोर्टर से वसूल की जाएगी।

ख) सामग्री के वितरण के 15 दिनों के भीतर स्वीकृति/प्राप्ति डिलीवरी चालान और बिल प्रस्तुत करने में विफलता ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी का उल्लंघन मानी जाएगी और प्रति सप्ताह 0.5% या उसकी ओर से देरी के कारण परिवहन के अधिकतम 5% मूल्य तक ट्रांसपोर्टर के बकाया भुगतान से वसूल किया जाएगा।

ग) आने वाली सभी सामग्रियों के मामले में ट्रांसपोर्टर क्रेता [ओएफबी] चालान की प्रतियां, ई-वे बिल और वेट स्लिप आदि की मूल प्रति के लिए जिम्मेदार होगा।

घ) ट्रांसपोर्टर जूट मिलो/स्टील संयंत्रों आदि जैसे खेप परेषिती से पहुँचाए गए माल के लिए हस्ताक्षरित चालान और इस तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा।

12.0 भुगतान की शर्तें

क) सहायक दस्तावेजों, जिनमें ग्राहक द्वारा बिना किसी नकारात्मक टिप्पणी के विधिवत स्वीकृति/प्राप्ति और विधिवत मुहर लगाई गई एलआर प्रति शामिल है, के साथ बिल जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर 100% भुगतान किया जाएगा।

ख) परेषिती के खेप प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्टर के एलआर पर इंगित सामग्री की प्राप्ति के स्पष्ट प्रमाण पर भुगतान किया जाएगा।

13.0 भार की संख्या का संशोधन/पुनः आवंटन/फेरे

प्रत्येक गंतव्य के खिलाफ उल्लिखित लोड/फेरों की संख्या केवल सांकेतिक/अनुमानित है। संचालन के दौरान लोड/फेरों की संख्या में संशोधन/पुनः आवंटन किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर/ठेकेदार कंपनी की आवश्यकता के अनुसार लोड/फेरे (वृद्धि या कमी) की संशोधित/पुनः आवंटित संख्या को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

14.0 वाहन उपलब्ध न कराना और जोखिम खरीद

ट्रांसपोर्टरों को तुरंत साफ सूखी स्थिति में टैंकों को लगाने की आवश्यकता होगी (अधिमानतः आदेश दिए जाने से 18 घंटे के भीतर)। ट्रांसपोर्टर यदि आवश्यक हो तो, टैंकों को काम के दिनों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और छुट्टियों के दिन विक्रेता के परिसर में रख सकते हैं। यदि

वाहन दोपहर 12.00 बजे के बाद रिपोर्ट करते हैं, और कोई लोड नहीं दिया जाता है तो बीएल वाहन के लौटने या किसी भी विलंब शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विक्रेताओं को परिसर में सामग्री की मात्रा को लोड करने के लिए प्रतिदिन मांग के अनुसार टैंकर उपलब्ध कराने होंगे। यदि ट्रांसपोर्टर मांग की जाने की तारीख से 2 दिन बाद भी बीएल को मांग के अनुसार टैंकर उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बीएल ट्रांसपोर्टर को बिना कोई सूचना दिए ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी भी अन्य ट्रांसपोर्टर द्वारा माल का परिवहन कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

15.0 अनुबंध की समाप्ति

असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में, बीएल बिना कोई सूचना दिए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। इस स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

16.0 अप्रत्याशित घटना

क) किसी भी तरह से, निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप इस समझौते को पूरी तरह से या उसके हिस्से के निष्पादन न होने या उसके निष्पादन में किसी भी देरी के लिए न तो कंपनी और न ही ट्रांसपोर्टर उत्तरदायी होंगे:

- घोषित हड़ताल/बंद
- तालाबंदी/लॉकडाउन
- प्राकृतिक आपदाएं
- किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण का निर्णय
- क्रांति
- युद्ध
- राज्य के दुश्मनों के कार्य।
- दंगे
- सर्वव्यापी महामारी /महामारी

ख) उपरोक्त के अलावा किसी भी कारण को अप्रत्याशित स्थिति नहीं माना जाएगा।

ग) जैसे ही अप्रत्याशित स्थिति हटा दी जाती है, जिस पक्ष की ज़िम्मेदारी प्रभावित हुई है, उसका दायित्व है कि वह इसकी समाप्ति की सूचना देगा और अन्य पक्ष को नोटिस के माध्यम से इस तरह की प्रभावित गतिविधियों में हुई वास्तविक देरी के बारे में सूचित करेगा। ऐसी कोई भी घटना जो अप्रत्याशित स्थिति है, जहां भी होती है, बशर्ते कि यह पक्षों को संविदात्मक दायित्व निभाने से रोकता है, प्रभावित करता है या देरी करता है, तो वह अप्रत्याशित स्थिति के प्रभावित पक्षों के दावे को सही ठहराएगा।

17.0 सामान्य

- क ट्रांसपोर्टर द्वारा काम पर रखे श्रमिक कारखाने/सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और केवल अधिकृत गेट पास से कारखाने के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रत्येक मामले में ट्रांसपोर्टर अपने कर्मचारियों, ठेकेदार या लोगों के अच्छे व्यवहार और आचरण आदि के लिए जिम्मेदार होता है। इस कारण से ग्राहक पर जो भी जुर्माना या दंड लगाया जाएगा उसे ट्रांसपोर्टर से वसूला जाएगा।
- ख जब तक विशेष रूप से बीएल से मांग न की जाए और उसकी सहमति प्राप्त नहीं हुई हो तब तक उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- ग ट्रांसपोर्टर के पास कोलकाता में कार्यालय और परिचालन मामलों पर बातचीत के लिए टेलीफोन/मोबाइल के साथ अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। ट्रांसपोर्टरों को सामग्री वितरित करने से पहले बीएल द्वारा बताए गए कुछ गंतव्यों/स्थान पर ग्राहक के स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करना होगा।
- घ अधिमानतः सभी स्थानों के लिए सुपुर्दगी के लिए ट्रक की स्थिति/अवस्था का पता लगाने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- ड परिवहन अनुबंध केवल टैंक ट्रक से ही है।
- च कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय कंपनी का होगा और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

18.0 विरुद्ध शर्तें/नियमों में संशोधन

ई-बिडिंग के बाद विरोधी की शर्तें और/या प्रस्तावित शर्तों में संशोधन करने से बयाना राशि/प्रतिभूति राशि की एकमुश्त अस्वीकृति और ज़बती के लिए प्रस्ताव योग्य हो जाएगा।

19.0 मध्यस्थता और न्याय

विवाद समाधान, शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता, और किसी भी विवाद या दावे (गैर-संविदात्मक विवादों या दावों सहित) के साथ या इसके विषय के संबंध में उत्पन्न होने वाले या इसके अधीन, भारत के कानूनों के अनुसार शासित माना जाएगा। इस समझौते के निर्वाचन अथवा इस समझौते से उपजे अथवा इसके संबंध में अथवा पक्षकारों के इसके अंतर्गत अधिकारों, कर्तव्यों या देनदारियों के रूप में, सभी विवादों, मतभेदों और किसी भी प्रकार के प्रश्नों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,

1996 (यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत समय-समय पर लागू नियमों के अनुरूप होगी। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। पंचाट का स्थान कोलकाता होगा। पंच की फीस समान रूप से देय होगी। एकल मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के पैनल से की जाएगी, जो बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (समझौते के दूसरे पक्षकार को) प्रदान करेगी और वह सकारण पंचाट करेगा।

शासी कानून और क्षेत्राधिकार: इस समझौते को प्रवृत्त करने की वैधता और निष्पादन सभी प्रकार से भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित होगी। इस समझौते अथवा इसके किसी भी भाग ("कार्यवाही") अथवा इसके अनुसरण में किसी समझौते को प्रवृत्त करने के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रत्येक पक्षकार, उपरोक्त खंड के अध्यक्ष, पक्षकार अटल रूप से कोलकाता स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करती हैं और स्थान के आधार पर या इस आधार पर कि कार्यवाही एक असुविधाजनक स्थान पर की गई है, ऐसे न्यायालयों में कार्यवाही के लिए किसी भी आपत्ति को अस्वीकार कर किया जाएगा। भारत सरकार को ऐसे किसी विवाद में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

इसके द्वारा पक्षकार किसी भी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी को पंचाट के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अवलम्बन के अपने अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि इस प्रकार की छूट वैध रूप से लागू कानून के अंतर्गत न की जाए।

20.0 जीएसटी औपचारिकताओं और विनियमों का अनुपालन

बोलीदाता यह निश्चित करेगा कि इस समझौते/अनुबंध में शामिल किए गए सभी सामान, सभी लागू कानूनों, विनियमों, श्रम समझौतों, समय-समय पर लागू किए गए काम करने की शर्तों और तकनीकी कोड और आवश्यकताओं के अनुसार सख्त अनुपालन में उत्पादित किए, बेचे, भेजे और वितरित किए जाएंगे। विक्रेता ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित और वितरित करेगा जो इस प्रभाव या इस तरह के अनुपालन का प्रमाण देने के लिए आवश्यक हो सकता है।

विक्रेता किए गए जीएसटी भुगतान के लिए चालान जारी करेगा ताकि लागू होने पर बीएल द्वारा जीएसटी क्रेडिट के रूप में बराबर राशि का लाभ उठाया जा सके। विक्रेता/विक्रेता के नामित ट्रांसपोर्टर खेप की सुपुर्दगी के समय कंपनी को जीएसटी क्रेडिट और सड़क परमिट प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए जीएसटी चालान की ट्रांसपोर्टर की प्रति सौंपना सुनिश्चित करेंगे। सभी अप्रयुक्त/समाप्त सड़क परमिट जारी करने वाली इकाई को वापस कर दिए जाएंगे।

"विक्रेता को अनिवार्य रूप से जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और जीएसटी कानून के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में किसी भी चूक की स्थिति में, बामर लॉरी विक्रेता को भुगतान न करने/भुगतान को रोकने/ काली सूची में डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगी।"

21.0 टेंडर निरस्तीकरण

किसी अप्रत्याशित/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या बीएल और बीएल के विवेकाधिकार के अनुसार निविदा प्रसंस्करण के किसी भी चरण में किसी अन्य कारण से निविदा रद्द की जा सकती है और आवेदकों को इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जाएगा।

22.0 ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए शर्तें

22.1 बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

बोलीदाता <https://balmerlawrie.eproc/.in> पर ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके निविदा के लिए बोली प्रस्तुत करने के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को <https://balmerlawrie.eproc/.in> ई-प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस पर पंजीकरण करना होगा और अपनी बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा किसी भी ऑफलाइन बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट में प्रदर्शित निविदा दस्तावेजों में निर्धारित मानक प्रारूपों में अपनी पात्रता और योग्यता दस्तावेज, तकनीकी बोली, वित्तीय बोली आदि प्रस्तुत करेंगे। ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट में पात्रता मानदंड/तकनीकी बोलियों के समर्थन में, यदि आवश्यक हो, तो बोलीदाता सभी संबंधित प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करेंगे। हालांकि, भारी दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निविदा खोलने की तारीख से पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकरण कार्यालय को उस की भौतिक प्रति भेजी जानी चाहिए। बोली लगाने वाले को उनके द्वारा अपलोड किए गए बयानों, दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों शुद्धता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेते हुए उन पर हस्ताक्षर करना होगा।

22.2 ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकरण

पंजीकरण और ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, या वे वेबसाइट <https://balmerlawrie.eproc/.in> पर लॉग इन करके अपने को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

22.3 डिजिटल प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण

बोलीदाता ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली जमा करने के लिए अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ बोली को प्रमाणित करेंगे और बोलीदाता के डिजिटल सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित न की जाने वाली बोलियों को ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन बोलीदाताओं के पास डिजिटल प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। वे सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी 104, सेक्टर 2, नोएडा - 201301

संपर्क व्यक्ति:

श्री तुहिन घोष, फ़ोन - 08981165071 : ईमेल: tuhin.ghosh@c1india.com

श्री तीर्थ दास, e-mail : ईमेल d : tirtha.das@c1india.com , फ़ोन: +91-9163254290

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 1. श्री तीर्थ दास (कोलकाता) | tirtha[dot]das[at]c1india[dot]com | +91-9163254290 |
| 2. श्री पार्थ घोष (कोलकाता) | partha[dot]ghosh[at]c1india[dot]com | +91-8811093299 |
| 3. श्री सीएच मणिशंकर (चेन्नई) | chikkavarapu[dot]manisankar[at]c1india[dot]com | +91-8939284159 |
| 4. सुश्री उज्जवलाशिम्पी (मुंबई) | ujwala[dot]shimpi[at]c1india[dot]com | +91-022- 66865608 |

22.4 हार्ड कॉपी जमा करना

बोली दाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे बोली ऑनलाइन जमा करने से पहले, मुहरबंद लिफाफे में कूरियर के माध्यम से अन्य सहायक दस्तावेज और बयाना राशि जमा करें ताकि वह निविदा को ऑनलाइन खोलने से पहले हम तक पहुंच सकें।

22.5 निविदा के लिए शुद्धिपत्र (संशोधनी)

बोलीदाता को ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में समय-समय पर निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए संयोजन/संशोधन देखकर किसी भी बदलाव का पता करना होगा। निविदा आमंत्रित करने वाली कंपनी इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे/समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

22.6 बोली जमा करने की पावती

उपयोगकर्ता को बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करना चाहिए। एक बार सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करने के बाद बोली जमा करने की संख्या के माध्यम से सिस्टम द्वारा पावती दिए जाने पर बोली के सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने का पता लगाया जा सकता है। निविदा आमंत्रण प्राधिकरण और सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अधूरी बोली के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उपयोगकर्ता इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि अधूरी बोलियों को सिस्टम द्वारा सहेजा नहीं जाएगा और वह निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले, बोलीदाताओं को उनके द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी बयानों, दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करना होगा, उनकी शुद्धता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेनी होगी।

भवदीय

कृते बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

शुभदीप कर्माकर

कनिष्ठ अधिकारी (भंडार और खरीद)

फ़ोन : 033 - 2450 0133

फैक्स : 033 - 2439 2277 / 5160

ईमेल: karmakar.sd@balmerlawrie.com

बैंक गारंटी का प्रारूप
(प्रतिभूति जमा के लिए)

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

(पता)

प्रिय महाशय,

सर्वश्री/श्री _____ (ठेकेदार का पूरा नाम और पता और गठन लिखें) (इसके बाद “ठेकेदार” के रूप में संदर्भित) ने आपकी निविदा, निविदा सं. दिनांकित..... (इसके बाद “उक्त निविदा” के रूप में संदर्भित) _____ कार्य के लिए (कार्य का उद्देश्य लिखें) के लिए उनका/अपना/इसका कोटेशन दिया है और उसके अनुसरण में ठेकेदार को आपके द्वारा एक आदेश, सं. _____ दिनांकित _____ (इसके बाद “आदेश” के रूप में संदर्भित) जारी किया गया है।

उक्त निविदा की शर्तों में अन्य बातों के साथ, यह आवश्यक है कि ठेकेदार यहाँ उल्लिखित प्रारूप में रुपए _____ (_____ रुपए मात्र) की राशि के एक पूर्ण प्रतिभूति राशि (इसके बाद “प्रतिभूति राशि” के रूप में संदर्भित) का भुगतान करे। अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादित की जाने वाली गारंटी प्रतिभूति राशि के भुगतान के रूप में शामिल है।

कथित सर्वश्री/श्री _____ (ठेकेदार का पूरा नाम लिखें) ने हमसे संपर्क किया है और उन लोगों के/उनके अनुरोध पर और परिसर के विचार से, हम, _____ (बैंक का पूरा नाम लिखें) जिनका कार्यालय, अन्य के साथ

_____ (बैंक का पूरा पता लिखें) पर है, ने निम्नलिखित अनुसार गारंटी देने पर सहमति दी है:

1. हम, _____ (बैंक का पूरा नाम लिखें) यह स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि अगर सर्वश्री/मि. (ठेकेदार का पूरा नाम लिखें), निविदा और/या आदेश के किसी भी नियम और शर्तों को पूरा करने में या सुरक्षा जमा या किसी अन्य या आपके द्वारा देय धन के भुगतान में चूक जाते हैं, तो हम ... (बैंक का पूरा नाम लिखें) बिना आनाकानी या विरोध के आपके मांग करने पर रुपए (रुपए ... केवल) से अधिक नहीं, की उक्त राशि या इसके हिस्से का भुगतान करेंगे जिसे आप समय-समय पर मांग सकते हैं।
2. हम (बैंक का पूरा नाम लिखें), आगे आपसे सहमत हैं कि हमारी सहमति के बिना और हमारे दायित्वों के बिना आपके पास ठेकेदार से अपने बकाए का वसूली के किसी भी तरीके को अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और / या उक्त मेसर्स/ श्री (ठेकेदार का पूरा नाम लिखें), के साथ आपके अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या स्थगित करने के लिए समय-समय पर ठेकेदार द्वारा आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से किसी का भी और अनुबंध और हमें..... (बैंक का पूरा नाम लिखें) ठेके से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने का ऐसे किसी भी भिन्नता के कारण, या ठेकेदार को आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी धन या किसी भी ऐसे मामले या बात से हमारे दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, जो सुनिश्चितता से संबंधित कानून के अंतर्गत लेकिन इस प्रावधान के लिए हमें मुक्त करने का प्रभाव रखता हो।
3. आपका _____ हमसे _____ रुपए _____ (रुपए _____ केवल) उक्त राशि को वसूलने का अधिकार हमारे द्वारा उपरोक्त तरीके से इस तथ्य के कारण प्रभावित या निलंबित नहीं किया जाएगा कि कोई भी विवाद किसी भी अधिकारी, न्यायाधिकरण, अधिकारियों के किसी अन्य प्राधिकरण के न्यायालय के समक्ष विवादित/ लंबित है।

4. इसके द्वारा दी गई गारंटी निर्धारित संविधान के उल्लंघन या संविधान के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित या मेसर्स/ श्री _____ (ठेकेदारों का पूरा नाम लिखें) के दिवालिए होने से या प्रभावित नहीं होगी, सभी मामलों में, और इसे सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी और कार्यशील होनी चाहिए जब तक कि इस तरह की देनदारियों के संबंध में आपकी सभी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
5. इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व केवल रुपए _____ (रुपए _____ मात्र) तक सीमित होगा।
6. हमारी गारंटी _____ तक (समाप्ति की तारीख लिखें) तब तक लागू रहेगी, और जब तक कि इस दावे के अंतर्गत लिखित गारंटी का दावा या मांग हमारे सामने न आए, जब तक कि पूर्वोक्त तारीख से छह महीने की समाप्ति अर्थात _____ (दावा अवधि की अंतिम तिथि लिखें), तक हमें इस गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकारों की गारंटी दी जाएगी और हमें, _____, (बैंक का पूरा नाम लिखें) राहत दी जाए और सभी देनदारियों से निर्मुक्ति न कर दी जाए।
7. हम, _____ (बैंक का पूरा नाम लिखें) लिखित रूप में आपकी पिछली सहमति के अलावा इस समय के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।
8. हम, _____, (बैंक का पूरा नाम लिखें) हमारे ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख के अंतर्गत आपके पक्ष में इस गारंटी को जारी करने की शक्ति रखते हैं और

अधोहस्ताक्षरी को अटार्नी की शक्ति से दो हजार बीस के _____ दिन बैंक द्वारा दी गई इस गारंटी को निष्पादित / हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है।

आपका आभारी,

दिनांक:

_____ (स्थान)

(.....की ओर से अधिकारी के हस्ताक्षर)

_____)

_____ ((दिनांक)

(बैंक का नाम लिखें)

अखंडता समझौता

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल), इसके बाद "प्रथम पक्ष"(प्रिंसिपल) के रूप में संदर्भित किया गया है।

और

_____, इसके बाद "बोलीदाता / ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रस्तावना

प्रथम पक्ष की संगठनात्मक प्रक्रियाओं, अनुबंध के अंतर्गत के लिए ठेका देने की मंशा है। प्रथम पक्ष अपने बोलीदाता(ओं) या ठेकेदार(रों) के साथ संबंधों में देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और निष्पक्षता/पारदर्शिता के साथ पूर्ण अनुपालन करने को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रथम पक्ष एक स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो निविदा प्रक्रिया और उपरोक्त सिद्धांतों के अनुपालन के लिए अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

खंड 1- प्रथम पक्ष की प्रतिबद्धता

1. प्रथम पक्ष खुद को भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए तैयार है: -

क. प्रथम पक्ष का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, किसी अनुबंध या निविदा के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या सारयुक्त लाभ की मांग या स्वीकार करने या स्वीकार करने का वादा नहीं करेगा जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख. प्रथम पक्ष, निविदा प्रक्रिया के दौरान समानता और उद्देश्य के साथ सभी बोलीदाता(ओं) से व्यवहार करेगा। निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान प्रथम पक्ष विशेष रूप से, सभी बोलीदाता(ओं) को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता(ओं) को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा, जिसके माध्यम से बोलीदाता(ओं) निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में एक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ग. प्रथम पक्ष सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

2. यदि प्रथम पक्ष अपने किसी भी कर्मचारी के आचरण के बारे में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करता है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई संदिग्ध संदेह है, तो प्रथम पक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की पहल कर सकता है।

खंड 2- बोलीदाता/ठेकेदार की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार (ओं) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।

क. बोलीदाता/ठेकेदार, निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी तरह के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए सामग्री या अन्य लाभ के लिए जिसका वह/वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं, निविदा प्रक्रिया में शामिल प्रथम पक्ष के कर्मचारियों या अनुबंध के निष्पादन या किसी तीसरे व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई, प्रस्ताव, वादे या लाभ नहीं देंगे।

ख. बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी गुप्त समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या गैर-प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कटौती लागू करने के किसी भी अन्य कार्यों पर लागू होता है।

ग. संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत बोलीदाता/ठेकेदार कोई अपराध नहीं करेंगे; आगे बोलीदाता/ठेकेदार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए, या दूसरों को पास करने के लिए, व्यावसायिक संबंधों के भाग के रूप में प्रथम पक्ष द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरण के बारे में अनुचित उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल या प्रसारित जानकारी शामिल है।

घ. विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदार, भारत में रह रहे अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/ठेकेदार विदेशी पक्षों का नाम और पता प्रस्तुत करेंगे, यदि कोई हो। बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के

भारतीय एजेंटों के दिशानिर्देश" में उल्लिखित आगे के विवरण का खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में होगा। "विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" की प्रतिलिपि अनुलग्नक - ए के रूप में चिह्नित की गई है और संलग्न है।

ड. बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करना होगा, जो अनुबंध सौंपने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य बिचौलियों को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) को तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने या ऐसे अपराधों में सहायक होने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।

खंड 3: निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंध से बहिष्करण

यदि सौंपे जाने से पहले या निष्पादन के दौरान बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार (ओं) ने धारा 2, उपरोक्त या किसी अन्य रूप में उल्लंघन के माध्यम से एक अपराध किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या अखंडता पर सवाल उठता है, तो प्रथम पक्ष निविदा प्रक्रिया से ऐसे बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार को अयोग्य घोषित करने या "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने का हकदार है। "बामर लॉरी पॉलिसी ऑन ब्लैकलिस्टिंग" की प्रतिलिपि अनुलग्नक - बी के रूप में चिह्नित और संलग्न है।

खंड 4: क्षति के लिए मुआवजा

- क) यदि प्रथम पक्ष ने धारा 3 के अनुसार आदेश सौंपने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया है, तो प्रथम पक्ष बयाना राशि/बोली सुरक्षा के बराबर हर्जाना मांगने और वसूलने का हकदार है।
- ख) यदि प्रथम पक्ष ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रथम पक्ष धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो प्रथम पक्ष ठेकेदार से अनुबंध के मूल्य या प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि के बराबर हर्जाना मांगने और वसूली के लिए हकदार होगा।

धाखंड 5: पिछला संक्रमण

- क. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जो भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप है और जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को सही ठहरा सकता है।
- ख. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

खंड 6: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों से समान व्यवहार

- क. सभी बोलीदाता/ठेकेदार उप-ठेकेदारों से इस वफादारी समझौता के अनुरूप प्रतिबद्धता की माँग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे प्रथम पक्ष को सौंपने का वचन देते हैं।
- ख . प्रथम पक्ष समान शर्तों के साथ सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उपठेकेदारों के साथ एक समझौता करेंगे।

ग. प्रथम पक्ष निविदा प्रक्रिया से उन सभी बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित करेगा जो इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करते या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

खंड 7: उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रथम पक्ष एक बोलीदाता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार, या एक बोलीदाता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि के सहयोगी के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करता है, जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रथम पक्ष को इस संबंध में संदेह है, तो प्रथम पक्ष इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

खंड 8: स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों

- (क) प्रथम पक्ष इस समझौता के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। पर्यवेक्षक का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है, कि पक्ष इस समझौते के अंतर्गत दायित्वों का किस हद तक पालन करते हैं।
- (ख) पर्यवेक्षक पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करता है। वह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएल को रिपोर्ट करता है।
- (ग) बोलीदाता/ठेकेदार स्वीकार करता है कि पर्यवेक्षक को ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सहित प्रमुख पक्ष के सभी परियोजनाओं के प्रलेखन का किसी प्रतिबंध के बिना उपयोग करने का अधिकार है। ठेकेदार पर्यवेक्षक के अनुरोध पर और अपने परियोजना दस्तावेज के लिए एक वैध हित, अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच देगा। पर्यवेक्षक गोपनीयता के साथ बोलीदाता/ठेकेदार/उप-ठेकेदार की जानकारी और दस्तावेजों के व्यवहार के लिए संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत है।
- (घ) प्रमुख पक्ष परियोजना से संबंधित दलों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्यवेक्षक को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें पर्यवेक्षक और ठेकेदार के बीच

संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकती हैं। पक्ष पर्यवेक्षक को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प देने की पेशकश करते हैं।

- (ड) इस समझौते का कोई उल्लंघन पर्यवेक्षक के ध्यान में आने पर, या उसे यह विश्वास होने पर कि कोई उल्लंघन हो रहा है, वह प्रमुख पक्ष के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से अनुरोध करेगा कि वह सुधारात्मक या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करे। पर्यवेक्षक इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षक को पक्षों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य कर, कार्रवाई से बचें या कार्रवाई को बर्दाश्त करें।
- (च) पर्यवेक्षक सीएमडी, बीएल को संदर्भ की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या प्रमुख पक्ष को सूचित किया जाएगा, कि समस्याग्रस्त स्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
- (छ) पर्यवेक्षक बीएल बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए/प्रदान किए जाने वाले समान शर्तों पर मुआवजे का हकदार होगा।
- (ज) यदि पर्यवेक्षक ने सीएमडी, बीएल को सूचित किया है, कि उसे संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संदेह है, और सीएमडी, बीएल ने ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है। पर्यवेक्षक इस सूचना को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकते हैं।
- (झ) 'पर्यवेक्षक' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

खंड 9 - समझौते की अवधि

यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए जाने पर शुरू होता है। यह अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान के 10 महीने बाद, और अनुबंध सौंपे जाने के 6 महीने बाद अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है/सूचित किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और ऊपर बताए अनुसार इस समझौता के चूक के बावजूद मान्य रहेगा, जब तक कि इसे सीएमडी, बीएल द्वारा खारिज/निर्धारित नहीं किया जाता है।

खंड 10 - अन्य प्रावधान

- क) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन और क्षेत्राधिकार का स्थान प्रमुख का पंजीकृत कार्यालय, अर्थात् कोलकाता है।
- ख) परिवर्तन और पूरकों के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में दिया जाना आवश्यकता है। पार्श्विक अनुबंध नहीं किए गए हैं।
- ग) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- घ) क्या इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य होने पर भी, इस समझौते के शेष प्रावधान वैध रहते हैं। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगे।

(प्रथम पक्ष के लिए और उनकी की ओर से)
(कार्यालय की मुहर)

स्थान -----

तारीख -----

(कृते बोलीदाता / ठेकेदार के लिए और उपठेकेदार की ओर से)
(कार्यालय की मुहर)

साक्षी 1:

(नाम और पता)

साक्षी 2:

(नाम और पता)

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

- 1.0 सभी वैश्विक (खुली) निविदा और सीमित निविदा के लिए एजेंटों का पंजीकृत होना अनिवार्य है। जो एजेंट बीएल के साथ पंजीकृत नहीं है, वह निर्धारित पंजीकरण फॉर्म में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
 - 1.1 पंजीकृत एजेंट, बीएल द्वारा आदेश जारी करने से पहले प्रथम पक्ष के नोटरी पब्लिक/मूल प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत प्रमाणित एजेंसी के समझौते की पुष्टि करने वाले और एजेंट और कमीशन/पारिश्रमिक/अनुरक्षण को एजेंट द्वारा भुगतान किए जाने की स्थिति की पुष्टि करने की एक प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करेंगे।
 - 1.2 जहां भी भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने प्रमुख की ओर से संचार किया है और विदेशी पक्षों ने कहा है कि वे भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, और भारतीय प्रतिनिधि वेतन के आधार पर या रिटेनर के रूप में काम कर रहे हैं, आदेश को अंतिम रूप देने से पहले प्रथम पक्ष द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।
-
- 2.0 भारत में स्थित एजेंट/प्रतिनिधियों का विवरण का प्रकटन, यदि कोई हो।
 - 2.1 विदेशी राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:
 - 2.1.1 भारत में स्थित एजेंटों/प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, और प्रथम पक्ष को प्रतिबद्ध करने के लिए दिए गए प्राधिकरण और अधिकार की सीमा। यदि एजेंट/प्रतिनिधि एक विदेशी कंपनी है, तो इसकी पुष्टि की जाएगी कि क्या यह वास्तविक कंपनी है और उसी का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
 - 2.1.2 भारत में ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों के लिए उद्धृत मूल्य में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

2.1.3 निविदादाता की पुष्टि कि भारत में उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक यदि कोई हो, तो बीएल द्वारा उसका भारतीय रुपए में भुगतान किया जा सकता है।

2.2 भारतीय राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:

2.2.1 विदेशी प्रमुख का नाम और पता, यदि कोई है, तो उनकी राष्ट्रीयता के साथ-साथ उनकी स्थिति का संकेत देता है, अर्थात्, निर्माता या निर्माता पक्ष के प्राधिकार कि निर्माता एजेंट को भारत में निविदाओं में सीधे या एजेंटों/प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्ताव करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करते हैं।

2.2.2 निविदाकर्ता द्वारा स्वयं के लिए उद्धृत मूल्य(यों) में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रमुख की पुष्टि पर कि कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, जो उद्धृत मूल्य (यों) में निविदाकर्ता के लिए आरक्षित है, तो परियोजना की संतोषजनक पूर्ति और भंडारों की आपूर्ति और संचालन मद के मामले में आपूर्ति पर भारत में बीएल द्वारा समतुल्य भारतीय रुपए का भुगतान किया जा सकता है।

2.3 किसी भी स्थिति में, अनुबंध के लागू होने की स्थिति में, यदि कोई हो, भुगतान की प्रलिखित शर्तों के अनुसार दायित्वों के निर्वहन के बाद 90 दिनों की समाप्ति पर भारतीय रुपए में भारत में स्थित एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्रावधान किया जाएगा ।

2.4 जैसा कि ऊपर के अनुच्छेद 2.0 में कहा गया है, सही और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता, निविदा की संबंधित अस्वीकृति के लिए या एक अनुबंध सौंप दिए जाने पर बीएल द्वारा

उसकी समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, बीएल के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने या एक नामित राशि के जुर्माने का भी भुगतान करना होगा।

* * * *

**यदि भाषा में कोई विचलन होता है, तो अंग्रेजी भाग को अंतिम माना जाएगा।*

**अनुलग्नक - I [निविदा संख्या: जीएलके/टीई20/182, दिनांक 24.11.2020,
04.12.2020 (15:00 बजे) को जमा की जाने के लिए]**

| बाजार सं. | कार्य का विवरण | यूओएम | उपलब्ध वार्षिक मात्रा |
|-----------|--|------------|--------------------------|
| क | टैंक ट्रक-18 केएल और उससे ऊपर [बाजार - क] | | |
| 1 | आधार तेल (बेस आयल), ईंधन तेल, सीबीएफएस आदि का परिवहन। विभिन्न ऑयल टर्मिनलों से [कोलकाता में और 20 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित] टैंक ट्रक द्वारा जी एंड एल - कोलकाता में स्थित हमारे कारखाने तक। | केएल | 15000 |
| | | | |
| बाजार सं. | कार्य का विवरण | यूओएम | उपलब्ध वार्षिक मात्रा |
| ख | टैंक ट्रक - 15 मीट्रिक टन [बाजार- ख] | | |
| 1 | हल्दिया से कोलकाता तक टैंक ट्रकों में बिटमिन का परिवहन | मेट्रिक टन | 1500 |
| | | | |
| बाजार सं. | कार्य का विवरण | यूओएम | उपलब्ध वार्षिक मात्रा |
| ग | टैंक ट्रक - 12 KL [बाजार - ग] | | |
| 1 | जी एल से 12 किलोमीटर तक स्थित विभिन्न जूट मिलों तक और हमारे संयंत्र से कोलकाता में और उसके आसपास से 60 किमी की दूरी तक के अन्य ग्राहकों को थोक लुब्रिकैंट्स ऑयल की खेप का परिहन।। | फेरे | 9 |
| 2 | जी एल से 8 किलोमीटर तक स्थित विभिन्न जूट मिलों तक और हमारे संयंत्र से कोलकाता में और उसके आसपास से 60 किमी की दूरी तक के अन्य ग्राहकों को थोक लुब्रिकैंट्स ऑयल की खेप का परिहन। | फेरे | 15 |
| 3 | जी एल से 4 किलोमीटर तक स्थित विभिन्न जूट मिलों तक और हमारे संयंत्र से कोलकाता में और उसके आसपास से 60 किमी की दूरी तक के अन्य ग्राहकों को थोक लुब्रिकैंट्स ऑयल की खेप का परिहन। | फेरे | 45 |
| | | | |

